न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 392/2018
CCMS NO. : 2018/00240

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. गोकल पुत्र लछा के कायम मुकाम 1/1. पारसराम पुत्र गोकल 1/2. सोहनी पुत्री गोकल 1/3. शारदा पुत्री गोकल 2. खेताराम पुत्र गोकल के कायम मुकाम 2/1. गुमानराम पुत्र खेताराम 2/2. श्यामलाल पुत्र खेताराम 2/3. ईश्वर पुत्र खेताराम 2/4. छोटूलाल पुत्र खेताराम 2/5. रामनिवास पुत्र खेताराम 2/6. बिच्छी पुत्र खेताराम 2/7. अनोपी बेवा खेताराम जातियान– बावरी, निवासीगण– ग्राम बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।		1. लादूराम पुत्र घीसाराम 2. नरसिंग पुत्र घीसाराम 3. भगवानराम पुत्र घीसाराम 4. शिवराम पुत्र घीसाराम जातियान– चौकीदार, निवासीगण– बलून्दा, तहसील– जैतारण। 5. हीराराम पुत्र चिमना 6. डावरराम पुत्र चिमना 7. बादरराम पुत्र चिमना जातियान– बावरी, निवासीगण– बलून्दा, तहसील– जैतारण। 8. शाखा प्रबन्धक जरिये पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक पाली, शाखा जैतारण जिला– पाली राज0। 9. शाखा प्रबन्धक जरिये राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बलून्दा तहसील– जैतारण, जिला पाली राज0। 10. तहसीलदार जैतारण, जिला पाली, राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 13/07/2018

उपस्थित:. 1. श्री चावण्डदार बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक: 15/03/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आ[illegible]श किया कि सायलानगण के पिता व दादा गोकल पुत्र लछा एवं गैरसायल [illegible] 5, 6, 7 चिमना पुत्र लछा के बेटे/पौते व उत्तराधिकारी है [illegible] उत्तराधिकारी गैरसायल सं, एक से चार है। वक्त सेटलमेंट सरहद मौजा बलुन्द[illegible]टवार हल्का बलुन्दा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालु तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वाके आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 85–10 बीघा किस्म बा0दोयम स्थित थी, जिसके 1/3 हिस्से की भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार चिमना पुत्र लछा जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:41:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

...राधिकारी गैरसायल सं. 5, 6 व 7 है व 1/3 हिस्से की भूमि गोकल पुत्र लछा ...सके विधिक उत्तराधिकारी सायलानगण है व घीसा पुत्र भूरा के 1/3 हिस्सा के ...त्तराधिकारी गैरसायल सं. एक से चार है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2309 रकबा 85-10 बीघा किस्म बा0 दोयम सम्पूर्ण भूमि एक चक के रुप में मौके पर स्थित है, जिसका सायलान एवं गैरसायल के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आज दिन तक बंटवाड़ा नहीं हुआ, उक्त सम्पूर्ण भूमि एक जोत/चक है व हिस्सानुसार सायलान व गैरसायल का कब्जा काश्त है उक्त भूमि की जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2016 से लगातार सम्वत् 2039 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2036-2039 में जरिये नामान्तरणकरण संख्या 1074 दिनांक 8/03/1981 के अनुसार हल्का पटवारी बलुन्दा द्वारा म्यूटेशन सं. 1074 भरा गया, जिसके कॉलम संख्या 14 में यह अंकित किया गया है कि जरिये लिखत स्टाम्प 7/- रुपये पर आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा होने से भरा गया व म्यूटेशन में पटवारी हल्का बलुन्दा द्वारा लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार जैतारण के बिना धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम की स्वीकृति के व बिना सायलान के हस्ताक्षर व सूचना के बाले-बाले अवैध व गैरकानूनी रुप से बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा किये व मौके पर बंटवाड़ा किये बगैर गैरकानूनी रुप से खसरा नम्बर 2309 रकबा 85-10 बीघा किस्म बा0 दोयम लगान 26.75 पैसे भूमि का विधि अनुसार तकास्मा हुये बिना म्यूटेशन सं. 1074 में चिमना वल्द लछा जो गैरसायल सं. 5, 6 व 7 के नाम नया खसरा नम्बर 2309/1 कॉलम नम्बर 12 में अंकित कर कुल रकबा 28-05 बीघा भूमि अलग से दर्ज कर लगान 8.92 पैसे अंकित किया गया। इसी प्रकार सायलान जो गोकल वल्द लछा के उत्तराधिकारी है के नाम खसरा नम्बर 2309 रकबा 28-10 बीघा लगान 8.91 पैसे अंकित किया व गैरसायल सं. एक से चार जो घीसा वल्द भूरा के उत्तराधिकारी के नाम खसरा नम्बर 2309 में रकबा 85-10 बीघा किस्म बा0दोयम के स्थान पर रकबा 28-10 बीघा किस्म बा0दोयम लगान 8.92 पैसे दर्ज किया गया। उक्त म्यूटेशन सं. 1074 जो तथाकथित लिखित स्टाम्प 7/- रुपये का अंकन किया है जिसकी तारीख अंकित नहीं है ऐसा कोई लिखत सायलान व गैरसायल के मध्य नहीं हुआ, ना ही कोई विधिवत् बंटवाड़ा हुआ। गैरसायल सं. एक से चार घीसा वल्द भूरा ने अवैध व गैरकानूनी रुप से म्यूटेशन सं. 1074 दूरभिसंधि से हल्का पटवारी बलुन्दा ने दिनांक 24/02/1981 को भरने की तारीख अंकित की गई व भू-अ[illegible]रीक्षक द्वारा बिना तारीख के हस्ताक्षर दिनांक 7/03/1981 को तस्दीक [illegible] का अंकन कर सरपंच ग्राम पंचायत बलुन्दा द्वारा दिनांक 8/0[illegible] [illegible]व यमलन 39 रखरामगैरकानूनी रुप से स्वीकृत किया, उक्त म्यूटेशन सं. 1074 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का [illegible] भाग माना जावे। उक्त म्यूटेशन सं. 1074 अवैध व गैरकानूनी है नल एण्ड वॉईड है सायलान के हितों के विरुद्ध बेअसर एवं प्रभाव शून्य है जिससे गैरसायल सं. एक से चार को कानूनन कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है, उक्त नामान्तरणकरण को रद्द घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:41:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

करवाने का सायलान को पुरा कानूनी अधिकार है इसलिए प्रार्थना पत्र रद्द घोषित करवाने नामान्तरणकरण सं. 1074 खिलाफ गैरसायल के पेश है। अवैध नामान्तरणकरण सं. 1074 के आधार पर जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2036-2039 में खसरा नम्बर 2309 रकबा 85-10 बीघा किस्म बा0 दोयम के बंटवाड़ा का इन्द्राज किया, वो भी अवैध व गैरकानूनी है जो एक रोंग एन्ट्री की तारीख में आता है, इसी रोंग एन्ट्री के आधार पर खसरा नम्बर 2309 का खसरा नम्बर 2309, 2309/1 व खसरा नम्बर 2309/2 के तहत अविभक्त शामलाती खसरा नम्बर 2309 रकबा 85-10 बीघा के इन्द्राज सम्वत् 2041-2044, सम्वत् 2045-2048, 2049-2052, सम्वत् 2053-2056 की जमाबन्दी खतौनी में गलत इन्द्राज किया गया। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। तत्पश्चात् यही इन्द्राज जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2057 से 2076 की जमाबन्दी में किया गया, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्रे के साथ पेश है। जो सम्पूर्ण इन्द्राज गलत व अवैध है जिसे जरिये दुरुस्ती निरस्त किया जावे, सम्पूर्ण खसरा नम्बर 2309 रकबा 85-10 बीघा किस्म बा0दोयम जो सायलानगण एवं गैरसायल की अविभक्त शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें सायलान 1/3 हिस्सा, गैरसायल सं. एक से चार का 1/3 वां हिस्सा एवं गैरसायल सं. 5, 6, 7 का 1/3 हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार है व हिस्सानुसार मौके पर काबिज है जिसका आज दिन तक विधिवत् रुप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। गैरसायल सं. एक से चार द्वारा खसरा नम्बर 2309 रकबा 85-10 बीघा भूमि जो मौके पर एक जोत है में गैरसायल सं. एक से चार की 28-10 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार होना बतकार दिनांक 29.06.2009 को धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत सायलान जो भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है को पक्षकार बनाये बगैर ही उक्त 28-10 बीघा भूमि जो गैरसायल सं. एक से चार मौके पर न तो बंटी हुई है ना ही धारा 53ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा हुये बिना अलग से सीमांकन तरमीम पत्थरगढी करने का प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर जैतारण के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र में गैरसायल सं. एक से चार द्वारा दिनांक 10.11.2008 को 100/- स्टाम्प पर सहमति से बंटवाड़ा करने का कथन अंकित कर इकरार बंटवाडा बताकर प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया गया। जबकि इस प्रकार का कोई बंटवाड़ा हुआ ही नहीं, ना कोई लिखापढ़ी सायलानगण एवं गैरसायल के मध्य हुई व म्यूटेशन सं. 1074 में जरिये लिखत पारिवारिक बंटवाड़ा 7/- स्टाम्प पर होना कर म्यूटेशन भरा गया। इस प्रकार सम्पूर्ण कथन मनगढ़त झूठे कथन आयत किये गये। सायलानगण 1/3 वां [illegible] की भूमि के सह-खातेदार थे को बिना पक्षकार बनाये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें केवल गैरसायल सं. 5 हिराराम व उसके पुत्र पप्पूराम, नौरत, [illegible]श को पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया व खसरा नम्बर 2309 चिमना पुत्र लछा के 1/3 हिस्से के सभी खातेदार व उत्तराधिकारी गैरसायल सं. 6 डावरराम, गैरसायल सं. 7 बगदाराम को बिना पक्षकार बनाये, सायलानगण को बिना पक्षकार बनाये प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:41:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

स्तुत किया गया, जो राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 90/09 जिसकी आदेशपंजिका दिनांक 01.07.09 से दिनांक 12.06.2015 तक की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। दिनांक 12.06.2015 को राजस्व अभियान कैम्प बलुन्दा में गलत व अवैध रुप से हुये म्यूटेशन सं. 1074 के आधार पर रोंग एन्ट्री के आधार पर खसरा नम्बर 2309 के सम्पूर्ण सह-खातेदार काश्तकारान को पक्षकारा बनाये बगैर व पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना, सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा दिनांक 12.06.2015 को खसरा नम्बर 2309 भूमि का सीमांकन कर पत्थर गढ्ढी करने, पुलिस इम्दाद से पालना करने, तहसीलदार जैतारण पालना आदेश प्रदान किया गया, उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 90/09 निर्णय दिनांक 12.06. 2015 एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित आदेश विधि व कानून के विपरीत होने, सायलान खसरा नम्बर 2309 को पक्षकार बनाये बिना पारित किया गया आदेश विधि विरुद्ध होने से नल एण्ड वॉईड है जिसे रद्द घोषित करवाने के सायलान अधिकारी है। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है इसलिए प्रार्थना पत्र वाबत् रद्द घोषित करवाने आदेश/निर्णय उपखण्ड अधिकारी जैतारण प्रार्थना पत्र संख्या 90/09 दिनांक 12.06.2015 को पारित किया गया है जिसे रद्द घोषित किया जावे व यह आदेश खसरा नम्बर 2309 रकबा 85-10 बीघा सायलान की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि का विधि अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 की पालना किये बगैर पारित किया गया है। जो सायलान के हितों के विरुद्ध नल एण्ड व०ईड है जिसे रद्द घोषित किया जावे, ऐसी घोषणा की डिक्री सायलान गैरसायल के विरुद्ध प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र रद्द घोषित करवाने आदेश दिनांक 12.06.2015 खिलाफ गैरसायल सं. एक से चार के पेश है। सरहद मौजा बलुन्दा में वाके आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 85-10 बीघा किस्म बा0दोयम में सायलानगण 1/3 वां हिस्सा व गैरसायल सं. एक से चार का 1/3 वां हिस्सा एवं 1/3 हिस्से की भूमि पर गैरसायल सं. 5, 6 व 7 काबिज खातेदार काश्तकार है, ऐसी घोषण की डिक्री बहक सायलानगण खिलाफ गैरसायल के जारी की जावे, व जरिये म्यूटेशन सं. 1074 मौजा बलुन्दा के खसरा नम्बर 2309 रकबा 28-10 बीघा भूमि में केवल गैरसायल सं. एक से चार के नाम एक रोंग एन्ट्री है व खसरा नम्बर 2309/1 रकबा 28-05 बीघा गैरसायल सं. 5, 6 व 7 के नाम दर्ज है व खसरा नम्बर 2309/2 रकबा 28-10 बीघा भूमि सायलान के नाम दर्ज है ये सभी इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में रोंग एन्ट्री के रुप [illegible] को जरिये रेकर्ड दुरुस्ती जमाबन्दी खतौनी में दर्ज किया जावे। इ[illegible] अनु[illegible] पटवारी हल्का बलुन्दा खसरा म्यूटेशन सं. 1074 के जरिये भू-राजस्व अधिनियम के तहत लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर की बिना अनुमति बिना अ[illegible] नक्शा देश में खसरा नम्बर 2309, खसरा नम्बर 2309/1 व खसरा नम्बर 2[illegible]/2 के रुप में अलग-अलग नक्शा में इन्द्रात बताये गये है जो नक्शा में गलत इन्द्राज है जिसे भी दुरुस्त किया जावे ऐसी रेकर्ड दुरुस्ती की घोषणा सायलान गैरसायल के विरुद्ध प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बावत् घोषणा रेकर्ड दुरुस्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:41:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खिलाफ गैरसायल के पेश है। खसरा नम्बर 2309 रकबा 85-10 बीघा किस्म बा0दोयम लगान 26.75 पैसे सायलानगण के 1/3 हिस्से, गैरसायल सं. एक से चार का 1/3 हिस्सा एवं गैरसायल सं. 5, 6 व 7 का 1/3 हिस्से की भूमि का मौके पर हिस्सानुसार एवं कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा कर पत्थर गढ्ढी करवाने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् बंटवाड़ा खिलाफ गैरसायलगण के पेश है। गैरसायल सं. एक से चार की नियत खराब है जो अवैध व गैरकानूनी रुप से सायलान को उनके 1/3 हिस्से की भूमि एवं कब्जा काश्त से बेदखल करने पर आमादा है सायलान के हिस्से की भूमि पर लगे मिट्टी की खन्दक/पाले को हटाकर सायलान को म्यूटेशन सं. 1074 व सीमांकन आदेश दिनांक 12.06.2015 की आड में बेदखल करने, पुलिस की सहायता से झूठे मुकदमें में फंसाने कर बेदखल करने की दिनांक 13/05/2018 को एलानिया धमकिया दी। जबकि गैरसायल सं. एक से चार को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। खसरा नम्बर 2309 रकबा 85-10 बीघा किस्म बा0 दोयम का विधि अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा किया जाकर भूमि का बंटवाड़ा करवाये जाने से पूर्व सीमांकन आदेश दिनांक 12.06.2015 की आड में सायलान को बेदखल करने व करवाने में व मौका स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने/करवाने से आदेश 12.06.2015 की आड क्रियान्वयन व प्रभाव को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के सायलान रुकवाने के कानूनी अधिकारी है। बाद बंटवाड़ा सायलान के हिस्से की भूमि में गैरसायल किसी प्रकार की दखलांदाजी करने से रुकवाने के सायलान अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला साबित है सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है इसलिए गैरसायलान गलत रोंग एन्ट्री के आधार पर सायलान के कब्जा काश्त में दखलादाजी करने व बेदखल करने की सूरत में अपूर्णीय क्षति सायलान को होने की पूर्ण सम्भावना है इसलिए सायलान गैरसायलान के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत कर निवेदन है कि- सरहद मौजा बलुन्दा में वाके आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 85-10 बीघा किस्म बा0दोयम जिसके सायलान 1/3 हिस्से के काबिज खातेदार एवं काश्तकार है मगर गैरसायल सं. एक से चार की नियत खराब है जो अवैध व गैरकानूनी रुप से सायलान को उनके 1/3 हिस्से की भूमि एवं कब्जा काश्त व हिस्से की भूमि पर लगे मिट्टी की खन्दक/पाले को हटाकर सायलान को म्यूटेशन सं. 1074 व सीमांकन आदेश दिनांक 12.06.2015 की आड में बेदखल करने, पुलिस की सहायता से झूठे मुकदमें में फंसाने कर बेदखल करने एवं मौका स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने/करवाने आदेश 12.06.2015 की आड क्रियान्वयन व प्रभाव को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के गैरसायलान व उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट व परिवार के सदस्यों को दखलांदाजी, बाधा इत्यादि पैदा करने से रोके जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2021.07.01 17:41:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

...ा आदेश फरमावे। अन्य कोई सहायता प्राप्त करने की अधिकारी हो तो सायलान को प्रदान फरमावे।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान् को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 09 को बार बार आवाजें दिलाई गई एवं बावजूद नोटिस तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील वादी/प्रार्थी की सुनी गई।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 85–10 बीघा, के सम्बन्ध में नामान्तरण संख्या 1074 दिनांक 08.03.1981 को बिना सक्षम स्वीकृति के तथा विधि विरूद्ध रूप से दर्ज करते हुये, जरिये लिखित 07 रूपये के स्टाम्प पर आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा द्वारा भूमि का कथित बंटवाड़ा को निरस्त करवाने तथा सहखातेदारी भूमि को बाई मिंटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवानें एवं रेकर्ड दुरूस्ती बाबत् दावा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो जैरकार है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 08.03.1981 के नामान्तरण संख्या 1074 को विधि विरूद्ध मानते हुये दावा प्रस्तुत किया है। दावे की विषय वस्तु के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि जमाबन्दी सम्वत् 2057–2060 ग्राम बलुन्दा के खसरा नम्बर 2309 रकबा 28–10 बीघा जो प्रतिवादी संख्या 01 से 04, खसरा नम्बर 2309/1 प्रतिवादी संख्या 05 से 07 तथा खसरा संख्या 2309/2 रकबा 28–10 जो प्रार्थीगण के पूर्वज गोकल पुत्र लच्छा के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 2309/2 की भूमि पर भूमि विकास बैंक पाली शाखा जैतारण एवं मारवाड़ ग्रामीण बैंक बलुन्दा द्वारा ऋण लिये जानें का अंकन है। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता है कि वर्ष 1981 में हुये बंटवाड़े के अंकन की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं हो। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

(02) सुविधा का संतुलन :– बिन्दू संख्या 01 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अभिलेख में पक्षकारान् के नाम पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज हैं तथा बैंक रहन का भी अंकन हैं। अतः सुविधा का संतुलन सभी खातेदारान के मध्य निहित होनें से यह बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित होता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :– प्रथम दृष्ट्यां मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित हुए है, साथ ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थीगण के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार से अपूर्णनीय क्षति होनें की पूर्ण आशंका है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:41:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहे हैं, अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–: *आदेश* :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 15/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:41:25 IST
Reason: SelfAttested